# योजनाओं का अवलोकन

1. **उत्तरजीवी लाभ योजना** (एसबीएस) दिवंगत भारतीय नाविक के परिवार को वित्तीय सहायता।
2. **स्थायी अशक्तता लाभ योजना** (आईबीएस)समुद्री सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित भारतीय नाविकों को सहायता।
3. **मातृत्व लाभ योजना** (एमबीएस) भारतीय महिला नाविकों को मातृत्व अवधि के दौरान वित्तीय सहायता।
4. **वृद्धावस्था लाभ योजना** (ओएबीएस) 01.01.2019 अथवा उसके बाद 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले तथा 01.01.2026 अथवा उसके बाद 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पात्र नाविकों को सहायता।
5. **पारिवारिक लाभ योजना** (एफबीएस) भारतीय नाविकों के आश्रित परिवारों को सहायता।
6. **पोत पर मृत्यु लाभ योजना** (डीबीबीएस) पोत पर मृत्यु अथवा अनुमानित मृत्यु की स्थिति में सहायता।
7. **अनुग्रह सहायता योजना** (ईएसबीएस) विशेष कठिन परिस्थितियों में अतिरिक्त वित्तीय सहायता।
8. **नाविकों के मेधावी बच्चों हेतु पुरस्कार योजना** (एएमसीएस) भारतीय नाविकों के बच्चों को शैक्षिक प्रोत्साहन।
9. **चिकित्सा एवं सावधि बीमा प्रीमियम सहायता योजना** (एमटीआईपी) पात्र भारतीय नाविकों के चिकित्सा, गंभीर बीमारी तथा सावधि बीमा प्रीमियम के लिए प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5,000 तक प्रतिपूर्ति।
10. **गंभीर/अंतिम अवस्था की बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना** (एमएसएस) आईआरडीए द्वारा मान्यता प्राप्त गंभीर अथवा अंतिम अवस्था की बीमारी से पीड़ित पात्र भारतीय सीडीसी धारक नाविकों को एकमुश्त ₹2,00,000 की वित्तीय सहायता।
11. **भारतीय दक्षता प्रमाण-पत्र (सीओसी) मान्यता एवं कैरियर प्रगति योजना** अपना प्रथम भारतीय दक्षता प्रमाण-पत्र (सीओसी) प्राप्त कर अधिकारी बनने वाले\ रेटिंग नाविकों को एकमुश्त ₹2,00,000 का प्रोत्साहन।
12. **युद्ध-सदृश/अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता योजना** निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

## समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) की भूमिका

**समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय** (डीजीएमए), नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (एसडब्लूएफएस) की सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, प्रामाणिकता तथा व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (एसडब्लूएफएस), **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के अधीन एक **स्वायत्त निकाय** के रूप में कार्य करती है। **समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय** अपनी **क्रू शाखा, शिपिंग मास्टर्स** तथा **नाविक नियोजन कार्यालयों के निदेशक** (डीएसईओ) के माध्यम से आवश्यक प्रशासनिक एवं परिचालन सहायता प्रदान करता है।

To download the Welfare SchemeApplication Form Pleasevisit our website https://dgma.gov.in/ OR Scan the QR Code.

Important Contacts:
SWFS Email ID: swfs.dgs@govcontractor.nic.in
8097552900/8097553700



An Overview of
**Welfare** Schemes by

# SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY (SWFS)

https://dgma.gov.in/crew-division/crew-swfs

# SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY (SWFS)

1. **SURVIVOR'S BENEFIT SCHEME(SBS)**
- ₹6,00,000 for death occurred on/after 27.01.2026 (earlier: ₹4,00,000 on/after 29.04.2024; ₹2,00,000 on /after16.03.2016).
- Death within 36 months off-article period for death occurred on/after 27.01.2026 (earlier: 24 months w.e.f. 29.04.2024).
- Paid to nominee registered for last voyage; last engagement through Indian Shipping Co./RPSL Claim within 3 years from date of death.

2. **Invalidity Benefit Scheme (IBS)**
- ₹6,00,000 for permanent disability on/after 29.04.2024(loss of limbs cases only).
- Permanent unfitness due to accidental injury within 36 months off-article for injury occurred on/after 27.01.2026(earlier: 24 months w.e.f. 29.04.2024).
- Claim within 3 years from date of certificate issued by DGS approved medical practitioner.

3. **Maternity Benefit Scheme (MBS)**
- Only for Indian women seafarers with sea service through Indian Shipping Co./RPSL ₹50,000 per delivery for delivery occurred on/after 27.01.2026(earlier: ₹25,000); max 2 deliveries. Claim within 2 years of delivery.

4. **Old Age Benefit Scheme (OABS)**

(a) Age 65 (on/after 01.01.2019):
- ₹50,000 Indian CDC holder; CDC to be cancelled; apply within 12 months of attaining 65.
- Sea service: min 6 months after age 50 through Indian Shipping Co./RPSL (as amended).

(b) Age 75 (on/after 01.01.2026): ₹1,00,000
- Eligible Indian CDC holder; apply within 12 months of attaining 75.

5. **Family Benefit Welfare Scheme (FBS) (Education support)**
- ₹1,00,000 on completion of Pre-Sea training (DGS approved institute) & obtains CDC (on/after 27.01.2026).
- ₹50,000 on completion of 2-year full-time PG Degree/Diploma (non-maritime) from Indian University/AICTE (as amended).
- Seafarer must have minimum 6 months sea service after 01.04.2014.
- Apply within 12 months of course completion/ certificate.

6. **Death on Board Benefit Scheme (DBBS) (w.e.f. 12.03.2025)**
- ₹2,00,000 ex-gratia to nominee registered for the vessel.
- Applicable for death/presumed death on board on/after 12.03.2025.

- Amended to ₹6,00,000 (For death occured on or after 24.03.2026).
- Indian CDC holder + bonafide employment through Indian Shipping Co./RPSL; apply within 3 months of death/missing.

7. **Ex-Gratia Support Benefit Scheme (ESBS) (w.e.f. 12.03.2025)**
- ₹10,000/month (amended to ₹20,000/month for families of seafarers abandoned/stranded on/after 01.01.2026).
- Payable to nominee for max 12 months/till abandonment date (whichever earlier).
- Assistance paid after 2 months of being stranded (based on local confirmation).
- Apply within 2 months from date of stranded/adonment.

8. **Award to Meritorious Child of Seafarers (AMCS) (w.e.f. 12.03.2025)**
- ₹25,000 cash award for child who tops in full-time Degree/PG Degree (non-maritime) from Indian University.
- Apply within 2 months of university confirmation.

9. **Medical & Term Insurance Premium Assistance**
- Reimbursement of 50% premium up to ₹5,000 (₹3,000 medical + ₹1,000 critical illness + ₹1,000 term), for Indian CDC holders meeting sea-servic criteria; apply before 60 days of policy lapse.

10. **Medical Support (Critical/Terminal Illness)**
- One-time ₹2,00,000; govt/recognised hospital certification; apply within 6 months of medical certificate.

11. **CoC Career Progression (Rating → Officer)**
- One-time assistance up to ₹2,00,000 after succesful issue of Indian CoC by DGMA.

12. Financial Assistance for Death or Permanent Disability suffered by Seafarers in Warlike / High-Risk Areas Assistance Scheme
- One-time financial for Death or Permanent Disability suffered by Seafarers in Warlike / High Risk Areas Assistance Scheme, effective from 23.03.2026
- Assistance amount: ₹10,00,000 (Rs.10 Lakhs only) one time.
- Applicable only to Indian CDC holders. Present Warlike area or high risk areas where the scheme is applicable are Persian/Arabian Gulf, Gulf of Oman, Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea.
- Application form is to be received within a period of 3 (three) months from the date of death of the seafarer / reported missing.

**To download the Welfare SchemeApplication Form Pleasevisit our website https://dgma.gov.in/ OR Scan the QR Code.**


**Important Contacts:**

**SWFS Email ID: swfs.dgs@govcontractor.nic.in**

**8097552900/8097553700**

# SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY (SWFS)

Seafarers' WelfareFund Society (SWFS) SWFS provides welfare and financial assistance to eligible Indian seafarers and their families through multiple benefit schemes, including support in cases of death/disability, maternity assistance, education support for children, oldage\ assistance, onboard deathsupport, assistance for abandonment/ stranding, and awards for meritorious children.

1. **Survivor's Benefit Scheme (SBS):** Financial assistance to the family of a deceased Indian seafarer
2. **Invalidity Benefit Scheme (IBS):** Support for Indian seafarers declared permanently unfit for the sea
3. **Maternity Benefits Scheme (MBS):** Financial assistance for Indian women seafarers during maternity
4. **Old Age Benefit Scheme (OABS):** Assis tance for seafarers who attain the age of 65 years on or after 01.01.2019 and assistance for seafarers who attain the age of 75 years on or after 01.01.2019.
5. **Family Benefit Scheme (FBS):** Provides support to dependent families of India Seafarers
6. **Death on Board Benefit Scheme (DBBS)** Support in cases of death or presumed death occurring on board
7. **Ex-Gratia Support Benefit Scheme (ESBS):** Additional financial aid for specific cases of hardship
8. **Award to Meritorious Child of Seafarers (AMCS):** Educational incentives for children of Indian Seafarers
9. **Medical & Term Insurance Premium Assi tance Scheme (MTIPS):** Provides up to ₹5,000 reimbursement (50% of premium for medical, critical illness, and term insurance premiums for eligible Indian seafarers.
10. **Medical Support Scheme for Critical / Terminal Illness (MSS):** Offers a one-time ₹2,00,000 financial assistance to eligible Indian CDC holder seafarers diagnosed with IRDAI-recognized critical or terminal illnesses.
11. **Indian Certificate of Competency (CoC) Recognition & Career Progression Scheme:** Grants a one-time ₹2,00,000 incentive to rating seafarers who obtain their first Indian CoC and become officers.
12. **Financial Assistance for Death or Perm nent Disability in Warlike/High-Risk Areas:** Financial assistance shall be provided subject to prescribed conditions and eligibility criteria.

## SWFS

The Directorate General of Maritime Administration (DGMA) plays a pivotal role in ensuring transparency, authenticity, and outreach for all Seafarers' Welfare Fund Society (SWFS) schemes. SWFS functions as an autonomous body under the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, and the Directorate General Of Maritime Administration provides key administrative and operational support through its Crew Branch, Shipping Masters, and Director Seamen's Employment Offices (DSEO).

### 1. उत्तरजीवी लाभ योजना (SBS)

- 27.01.2026 अथवा उसके बाद हुई मृत्यु की स्थिति में ₹6,00,000 की वित्तीय सहायता। (पूर्व में: 29.04.2024 अथवा उसके बाद हुई मृत्यु पर ₹4,00,000 तथा 16.03.2016 अथवा उसके बाद ₹2,00,000)
- 27.01.2026 अथवा उसके बाद हुई मृत्यु के मामलों में ऑफ-आर्टिकल अवधि 36 माह होगी।
- (पूर्व में: 29.04.2024 से यह अवधि 24 माह थी।)
- नामिती वही होगा जो अंतिम समुद्री यात्रा के लिए पंजीकृत हो। नाविक की अंतिम नियुक्ति किसी भारतीय पोत परिवहन कंपनी अथवा आरपीएसएल पंजीकृत कंपनी के माध्यम से हुई हो। मृत्यु की तिथि से 03 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### 2. स्थायी अशक्तता लाभ योजना (आईबीएस)

- 29.04.2024 अथवा उसके बाद स्थायी दिव्यांगता (केवल अंग-हानि के मामलों में) होने पर ₹6,00,000 की वित्तीय सहायता।
- दुर्घटनाजनित चोट के कारण समुद्री सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित नाविक। 27.01.2026 अथवा उसके बाद लगी चोट के मामलों में 36 माह की ऑफ-आर्टिकल अवधि। (पूर्व में: 29.04.2024 से 24 माह।)
- नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की तिथि से 03 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### 3. मातृत्व लाभ योजना (एमबीएस)

- केवल उन भारतीय महिला नाविकों के लिए, जिन्होंने किसी भारतीय पोत परिवहन कंपनी अथवा आरपीएसएल (RPSL) पंजीकृत कंपनी के माध्यम से समुद्री सेवा की हो।
- 27.01.2026 अथवा उसके बाद प्रत्येक प्रसव पर ₹50,000 की वित्तीय सहायता।
- (पूर्व में: ₹25,000 प्रति प्रसव।) अधिकतम दो प्रसव तक लाभ देय होगा।
- प्रसव की तिथि से 02 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### 4. वृद्धावस्था लाभ योजना (ओएबीएस)

(क) 65 वर्ष की आयु (01.01.2019को अथवा उसके बाद):

- ₹50,000 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पात्र भारतीय सीडीसी धारक को ₹50,000 की एकमुश्त सहायता।
- भारतीय सीडीसी (सीडीसी) धारक, सीडीसी निरस्त कराया गया हो, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के 12 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- 50 वर्ष की आयु के बाद किसी भारतीय पोत परिवहन कंपनी अथवा आरपीएसएल पंजीकृत कंपनी के माध्यम से कम-से-कम 06 माह की समुद्री सेवा की हो।

(ख) 75 वर्ष की आयु (01.01.2026 अथवा उसके बाद)

- ₹1,00,000 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के 12 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

### 5. पारिवारिक लाभ योजना (शैक्षिक सहायता)

- नौमनि द्वारा अनुमोदित संस्थान से प्री-सी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा भारतीय सीडीसी प्राप्त करने पर (27.01.2026 अथवा उसके बाद) ₹1,00,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
- भारतीय विश्वविद्यालय/एआईसीटीई (यथासंशोधित) से गैर-समुद्रीय विषय में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ₹50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
- आवेदक के पास 01.04.2014 के बाद की कम-से-कम 06 माह की समुद्री सेवा होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### 6. पोत पर मृत्यु लाभ योजना (12.03.2025 से प्रभावी) लाभ

- पोत के लिए पंजीकृत नामिती को ₹2,00,000 की अनुग्रह सहायता।
- -12.03.2025 अथवा उसके बाद पोत पर हुई मृत्यु अथवा अनुमानित मृत्यु के मामलों पर लागू।
- 24.03.2026 अथवा उसके बाद हुई मृत्यु के मामलों में यह राशि संशोधित होकर ₹6,00,000 होगी।
- भारतीय सीडीसी धारक हो। किसी भारतीय पोत परिवहन कंपनी अथवा आरपीएसएल पंजीकृत कंपनी के माध्यम से वास्तविक नियुक्ति प्राप्त हो। मृत्यु अथवा लापता होने की तिथि से 03 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. अनुग्रह सहायता योजना (12.03.2025 से प्रभावी)

- ₹10,000 प्रति माह की सहायता। (01.01.2026 अथवा उसके बाद परित्यक्त अथवा फँसे नाविकों के परिवारों के लिए यह राशि बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह कर दी गई है। )
- अधिकतम 12 माह अथवा परित्याग की तिथि तक (जो भी पहले हो) नामिती को भुगतान किया जाएगा।
- फँसे रहने की स्थिति में दो माह पूर्ण होने के बाद (स्थानीय पुष्टि के आधार पर) सहायता देय होगी।
- परित्याग अथवा फँसे रहने की तिथि से 02 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. नाविकों के मेधावी बच्चों हेतु पुरस्कार योजना (12.03.2025 से प्रभावी)

- भारतीय विश्वविद्यालय से गैर-समुद्रीय विषय में पूर्णकालिक स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नाविक के पुत्र/पुत्री को ₹25,000 का नकद पुरस्कार।
- विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम/प्रमाणन की पुष्टि होने के 02 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

9. चिकित्सा एवं सावधि बीमा प्रीमियम सहायता योजना

पात्र भारतीय सीडीसी धारक नाविकों को चिकित्सा बीमा, गंभीर बीमारी बीमा तथा सावधि बीमा के प्रीमियम पर 50% अथवा अधिकतम ₹5,000 तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है– (चिकित्सा बीमा : ₹3,000 तक, गंभीर बीमारी बीमा : ₹1,000 तक, सावधि बीमा : ₹1,000 तक ) भारतीय सीडीसी धारक को जो निर्धारित समुद्री सेवा मानदंडों को पूरा करता हो। बीमा पॉलिसी की समाप्ति (Policy Lapse) से 60 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10. गंभीर/अंतिम अवस्था की बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना

- पात्र भारतीय सीडीसी धारक नाविक को ₹2,00,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता जो गंभीर अथवा अंतिम अवस्था की बीमारी से पीड़ित हो। सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए। चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

11. भारतीय दक्षता प्रमाण-पत्र मान्यता एवं कैरियर प्रगति योजना

नौमनि द्वारा प्रथम भारतीय दक्षता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने तथा रेटिंग से अधिकारी बनने पर ₹2,00,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता।

12. युद्ध-सदृश/अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता योजना

- 23.03.2026 से प्रभावी युद्ध-सदृश अथवा अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत नाविक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में।
- ₹10,00,000 (केवल दस लाख रुपये) की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
- केवल भारतीय सीडीसी धारकों पर लागू।
  - वर्तमान में यह योजना निम्नलिखित युद्ध-सदृश/अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों पर लागू है– फारस/अरब की खाड़ी , ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर, अदन की खाड़ी. दक्षिणी लाल सागर
- नाविक की मृत्यु अथवा लापता घोषित किए जाने की तिथि से 03 माह के भीतर आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए।

# नाविक कल्याण निधि सोसाइटी

## (एसडब्लूएफएस)

### नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (एसडब्लूएफएस)

नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (एसडब्लूएफएस) पात्र भारतीय नाविकों तथा उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय एवं सामाजिक सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं के अंतर्गत मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में सहायता, मातृत्व सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता, वृद्धावस्था सहायता, पोत पर मृत्यु की स्थिति में सहायता, छोड़े जाने/फँस जाने की स्थिति में सहायता तथा मेधावी बच्चों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।